5 पत्रावली पेश। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी आवेदिका ने वादग्रस्त भूमि की माप सही कर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली में तहसीलदार कुडी भगतासनी के जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुडी भगतासनी के अनुसार ग्राम ~~[illegible]~~ खारडा रणधीर के अनुसार ग्राम ~~[illegible]~~ खारडा रणधीर में प्रार्थीया खातेदार के ख.नं. 41/3 व 41/5 में प्रार्थीया खातेदार नहीं है। वर्तमान में उक्त दोनों खसरे जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार एक खातेदार ही अपनी भूमि का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करा सकता है। वर्तमान में प्रार्थीया उक्त खसरों की खातेदार नहीं है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खातेदार नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।